न्यायमूर्ति एन. के. सोधी के समक्ष

नीरज सैनी एवं अन्य ,-याचिकाकर्ता

बनाम

उषा गोल एवं अन्य,-उत्तरदाता

सी. आर. सं. 5258 of 1998

26 नवंबर, 1998

सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 - धारा 92 - मुकदमा दायर करने की अनुमति देने के लिए आवेदन – आवेदक दिल्ली के निवासी है - दावा किया गया कि जब भी याचिकाकर्ता रेवाड़ी जाते हैं तो धर्मशाला का उपयोग किया जाता था - धर्मशाला का उपयोग ऐसा हित पैदा नहीं करता है जिससे उन्हें मुकदमा करने का अधिकार मिल सके - आवेदन का ख़ारिज किया जाना सही।

अभिनिर्धारित किया कि याचिकाकर्ता दिल्ली के निवासी हैं और यह दावा किया की जब भी वे रेवाड़ी जाते हैं तो वे धर्मशाला का उपयोग करते हैं।यह उपयोग, मेरी राय में, उनमें ऐसा हक़ पैदा नहीं करता है जिससे उन्हें संहिता की धारा 92 के तहत मुकदमा करने का अधिकार दिया जा सके। इसलिए मुकदमा दायर करने की अनुमति के लिए उनके आवेदन को निचली अदालत ने सही खारिज किया था।

(पैरा 3)

सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 - धारा ९२ - चर्चा - दावा अन्तर्गत धारा 92 विशेष प्रकृति का एक मुकदमा है- केवल तभी स्थापित किया जा सकता है जब आवश्यक तत्व संतुष्ट हों - उद्देश्य लोगों को चैरिटेबल ट्रस्ट के प्रशासन में धारा के आधार पर हस्तक्षेप करने से रोकना - ट्रस्ट में हित वास्तविक और मूल होना चाहिए न कि दूरस्थ और काल्पनिक।

अभिनिर्धारित किया कि संहिता की धारा 92 के तहत मुकदमा एक विशेष प्रकृति का मुकदमा है जिसे केवल तभी स्थापित किया जा सकता है जब धारा के आवश्यक तत्व पूर्ण हों।इस तरह के मुकदमे की चलनशीलता वाद में लगाए गए आरोपों पर निर्भर करती है और इस तरह के निर्धारण के लिए लिखित जवाब दावे में किए गए अभिकथनों का कोई संदर्भ देने की आवश्यकता नहीं है।इस धारा के तहत मुकदमा (i) महाधिवक्ता या (ii) अदालत की अनुमति प्राप्त करने के बाद ट्रस्ट में रुचि रखने वाले दो या दो से अधिक व्यक्तियों द्वारा दायर किया जा सकता है।जब महाधिवक्ता के अलावा अन्य व्यक्तियों द्वारा मुकदमा दायर किया जाता है तो धारा की अनिवार्य आवश्यकता यह है कि उनका ट्रस्ट में हित

होना चाहिए। जाहिर है, इस शर्त का उद्देश्य अपने स्वयं के किसी भी वास्तविक हित के बिना केवल दूसरों के हित में धर्मार्थ न्यासों के प्रशासन में धारा के आधार पर लोगों को हस्तक्षेप करने से रोकना है।धारा के तहत आवश्यक हित विशेष न्यास में एक स्पष्ट हित होना चाहिए ना की दूसरों के समान आम हित ।यह वास्तव में एक वास्तविक, मूल और एक मौजूदा हित होना चाहिए और न कि केवल एक दूरस्थ, काल्पनिक या आकस्मिक हित, हालांकि यह इस अर्थ में प्रत्यक्ष हित होने की आवश्यकता नहीं है कि केवल एक लाभार्थी ही मुकदमा दायर कर सकता है।

(पैरा2)

याचिकाकर्ता की ओर से राव रंजीत अधिवक्ता

निर्णय

न्यायमूर्ति एन. के. सोधी,

(1) याचिकाकर्ताओं ने अतिरिक्त जिला न्यायाधीश, रेवाड़ी की अदालत में सिविल प्रक्रिया संहिता (संक्षेप में सीपीसी) की धारा 92 के तहत प्रतिवादीगण के खिलाफ स्थायी निषेधाज्ञा का मुकदमा दायर करने के लिए अदालत की अनुमति प्राप्त करने के बाबत याचिका दायर की और रेलवे रोड, रेवाड़ी में स्थित सार्वजनिक धर्मार्थ न्यास 'राय बहादुर माखन लाई धर्मशाला' के न्यासियों को हटाये जाने की प्रार्थना की ।यह आरोप लगाया गया था कि ट्रस्ट के संस्थापक श्री नेमी चंद जैन ने धर्मशाला को यात्रियों के लाभ के लिए सार्वजनिक धर्मार्थ ट्रस्ट को समर्पित किया था, जो वर्ष 1954 में पंजीकृत है और आम जनता द्वारा इसका उपयोग किया जा रहा है।यह भी आरोप लगाया गया कि प्रतिवादीगण ने 22 नवंबर, 1995 को एक कूटरचित ट्रस्ट डीड बनाया है, जिसमें गलत बयान दिया गया है कि श्रीमती उषा गोयल दिनांक 22 दिसंबर, 1995 को एकमात्र शेष ट्रस्टी थीं, जबकि अन्य ट्रस्टी भी थे। यह भी कहा गया कि प्रतिवादीगण ने विश्वासघात किया है और जालसाजी करके वे न्यास की संपत्ति बेचना चाहते हैं और न्यास की आय का दुरुपयोग किया जा रहा है।प्रतिवादीगण पर आरोप है कि उन्होंने धर्मशाला के एक हिस्से पर अपने निवास के रूप में कब्जा कर लिया है।याचिकाकर्ताओं का दावा है कि ट्रस्ट में उनकी रुचि है क्योंकि आम जनता के सदस्य होने के नाते वे धर्मशाला का बार-बार उपयोग करते हैं।निचली अदालत ने 24 अक्टूबर, 1998 के आदेश के अनुसार याचिका को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि जो याचिकाकर्ता रेवाड़ी की अपनी यात्राओं के दौरान ट्रस्ट की संपत्ति का उपयोग करने का दावा कर रहे हैं, उन्हें इसमें हितकारी नहीं कहा जा सकता है और इसलिए, उन्हें याचिका दायर करने का कोई अधिकार नहीं है।इस आदेश के खिलाफ वर्तमान पुनरीक्षण याचिका दायर की गई है।

(2) मैंने याचिकाकर्ताओं के वकीलों को सुना है जिन्होंने अदालत की अनुमति प्राप्त करने के लिए निचली अदालत के समक्ष दायर आवेदन और अपनी याचिका जो वे वे यदि उन्हें अनुमति दी जाती है तो अंततः दायर करेंगे

, का संदर्भ पेश किया। संहिता की धारा 92 के तहत एक मुकदमा एक विशेष प्रकृति का मुकदमा है जिसे केवल तभी स्थापित किया जा सकता है जब धारा के आवश्यक तत्व संतुष्ट हों।इस तरह के मुकदमे की चलनशीलता वाद में लगाए गए आरोपों पर निर्भर करती है और इस तरह के निर्धारण के लिए लिखित जवाब दावे के अभिकथनों का कोई संदर्भ देने की आवश्यकता नहीं है।इस धारा के तहत मुकदमा (i) महाधिवक्ता या (ii) अदालत की अनुमति प्राप्त करने के बाद ट्रस्ट में रुचि रखने वाले दो या दो से अधिक व्यक्तियों द्वारा दायर किया जा सकता है।जब एडोवोकेट जनरल के अलावा अन्य व्यक्तियों द्वारा मुकदमा दायर किया जाता है, तो अनुभाग की आवश्यक आवश्यकता यह है कि उनका ट्रस्ट में हित होना चाहिए।जाहिर है, इस शर्त का उद्देश्य धर्मार्थ के प्रशासन में धारा के आधार पर लोगों को हस्तक्षेप करने से रोकना है जहां केवल दूसरों का हित हो और अपने स्वयं का कोई वास्तविक हित ना हो ।इस धारा के तहत अपेक्षित हित विशेष न्यास में एक स्पष्ट हित होना चाहिए, जो दूसरों के समान आम हित ना हो सकता।यह वास्तव में एक वास्तविक, मूल और एक मौजूदा हित होना चाहिए और न कि केवल एक दूरस्थ, काल्पनिक या आकस्मिक हित, हालांकि यह इस अर्थ में प्रत्यक्ष हित होने की आवश्यकता नहीं है कि केवल एक लाभार्थी ही मुकदमा दायर कर सकता है।यह भी आवश्यक नहीं है कि वादी को यह साबित करना चाहिए कि ट्रस्ट में शामिल संपत्ति के हर हिस्से में उनका हित है।किसी व्यक्ति की किसी विशेष न्यास में रुचि है या नहीं, इसका निर्धारण उस न्यास के साथ व्यक्ति के संबंध से संबंधित प्रस्तुत मामले के तथ्यों पर किया जाना चाहिए, जिसके संबंध में मुकदमा दायर किया गया है।

(3) **टी आर रामचंद्र अय्यर और अन्य बनाम पी ए परमेश्वरन मुन्बू और एक अन्य**[1] में, वादी एक अधिवक्ता था और मद्रास में रहने वाला ब्राह्मण था।उन्होंने तेलीचेरी में स्थित एक मंदिर के संबंध में संहिता की धारा 92 के तहत एक मुकदमा दायर किया।उन्होंने दावा किया कि कुछ मौकों पर जब वे अपनी पेशेवर क्षमता में तेलीचेरी गए तो उन्होंने उस मंदिर में पूजा की।यह अभिनिर्धारित किया गया था कि मंदिर में पूजा करने का अधिकार ऐसा 'हित' नहीं है जो उपासक को संहिता की धारा 92 के तहत मुकदमा करने का अधिकार देगा।मद्रास उच्च न्यायालय के इस दृष्टिकोण को **वैद्यनाथ अय्यर और एक अन्य बनाम स्वामीनाथ अय्यर और एक अन्य**[2] मामले में प्रिवी काउंसिल द्वारा अनुमोदन के साथ संदर्भित किया गया था, जिसमें यह देखा गया था कि "एक हिंदू द्वारा किसी विशेष मंदिर का सहारा लेने की इच्छा की संभावना, चाहे कितनी भी दूरस्त हो, उसे ट्रस्ट में हित नहीं देती है, अन्यथा यह उस उद्देश्य को विफल करती है जिसके साथ विधायिका ने इन शब्दों को धारा में डाला था। **हरनाम सिंह बनाम गुरदियाल सिंह**[3] के मामले में, धार्मिक संस्थान एक मुफ्त रसोई चला रहा था, आगंतुकों को मुफ्त भोजन परोस रहा था और जिस गांव

1ए. आई. आर. 1919 मद्रास 384
2ए. आई. आर. 1924 पी. सी. 229
3ए. आई. आर. 1967 एस. सी. 1415

में ऐसा भोजन परोसा जाता था, वहां के निवासियों को संहिता की धारा 92 के तहत मुकदमा दायर करने का अधिकार नहीं था।रामचंद्र अय्यर के मामले (उपरोक्त) में मद्रास उच्च न्यायालय की टिप्पणियों को मंजूरी दी गई। तत्काल मामले में, याचिकाकर्ता दिल्ली के निवासी हैं और यह दावा किया जाता है कि जब भी वे रेवाड़ी जाते हैं तो वे धर्मशाला का उपयोग करते हैं। यह उपयोग मेरी राय में उन्हें ऐसा हित हित नहीं देता जो उन्हें संहिता की धारा 92 के तहत मुकदमा करने का अधिकार दे। इसलिए मुकदमा दायर करने की अनुमति के उनके आवेदन को निचली अदालत ने सही खारिज किया है ।

(4) परिणामस्वरूप, पुनरीक्षण याचिका में कोई वरीयता नहीं है अतः खारिज की जाती है।

अस्वीकरण :

स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि यह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता। सभी व्यावहारिक और आपराधिक उदेश्यों के लिए निर्णय का अंग्रेज़ी संस्करण प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त होगा।

हिमांशु आर्य

प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी, हरियाणा